

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

67/2017 प्रा.पत्र/2017

01.09.2017

18.07.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-खाद्य कारोबारकर्ता श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह निवासी गुदलिया पोस्ट रूपवास तह. उनियारा जिला टोंक मैसर्स विरेन्द्र आईसक्रीम पार्लर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक।

2-मैसर्स विरेन्द्र आईसक्रीम पार्लर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक।

3-श्रीमति प्रेमलता गुप्ता पत्नी श्री हरिमोहन गुप्ता प्रबन्धक/प्रोपरायटर मैसर्स प्रीति आईसक्रीम एण्ड फूड्स जी/563, सीतापुरा इण्डस्ट्रीज एरिया, सांगानेर जयपुर राज0।

4- मैसर्स प्रीति आईसक्रीम एण्ड फूड्स जी/563, सीतापुरा इण्डस्ट्रीज एरिया, सांगानेर जयपुर राज0।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्रीमति प्रेमलता स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 18/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.05.2017 को समय दोपहर 04:00 पी.एम. पर मैसर्स विरेन्द्र आईसक्रीम पार्लर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह अपने प्रतिष्ठान मैसर्स विरेन्द्र आईसक्रीम पार्लर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ आईसक्रीम, मीडियम फ़ैट फ़ोर्जन डेजर्ट व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में आईसक्रीम, मीडियम फ़ैट फ़ोर्जन डेजर्ट व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ दुकान में डीप फ्रीजर में लगभग 5 मूल पैक आईसक्रीम ऑमनी बटर स्कोच ब्रण्ड के पैकड अवस्था में 1200 मिलीग्राम पैक के आईसक्रीम (बटर स्कोच ऑमनी ब्रण्ड) आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्वय करने



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में डीप फ्रीजर में 5 मूल पैक 1200 मिली आईसक्रीम ऑमनी बटर स्कॉच ब्राण्ड पैकड अवस्था में आईसक्रीम (बटर स्कॉच ऑमनी ब्राण्ड) जिसके बैच नं० 85 एवं पैकिंग की दिनांक 26.03.2017 थी को ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 1200 मिली पैक के 2 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा आईसक्रीम (बटर स्कॉच ऑमनी ब्राण्ड) 2 मूल पैक पैकड अवस्था में 1200 मिली पैक को स्टील के एक जग में लेकर वातावरण के सामन तापमान पर पूर्णतया होमोजीनियस कर, चार कांच की साफ व सूखी शिशियों में बराबर-बराबर भरकर, (प्रत्येक शिशी में 600 मिली), बतौर प्रीजरवेटिव 40 प्रतिशत वाली फार्मलिन की 24-24 बूंदे डालकर, ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट किया। नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1673 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1673 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह मैसर्स विरेन्द्र आईसक्रीम पार्लर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टॉक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स प्रीति आईसक्रीम एण्ड फूड्स जी/563, सीतापुरा इण्डस्ट्रीज एरिया, सांगानेर जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/17/3538 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज० जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/383/एक्ट/2017/421 दिनांक 16.06.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया आईसक्रीम (बटर स्कॉच ऑमनी ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)



*RAJ*  
प्रतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट  
टोक

के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्रीमति प्रेमलता गुप्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस आईसक्री (बटर स्कॉच ऑमनी ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया आईसक्री (बटर स्कॉच ऑमनी ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/7/2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन जीसी मजिस्ट्रेट)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
टोंक